न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 23/2023 अपील प्रार्थना पत्र

1. श्रीमति तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक निवासी महवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी महवा।
2. श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा निवासी महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(द्वितीय अपील विरूद्ध डॉ. धर्मवीर सिंह उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग दौसा निर्णय दिनांक 21.04.2023 अपील संख्या 11/23 महवा आंगनबाडी केन्द्र 08 सहायिका चयन दिनांक 21.03.2023 एवं दिनांक 17.04.2023 विज्ञप्ति संख्या 01/2022 बाल विकास परियोजना अधिकारी महवा द्वारा दर्शित विज्ञप्ति संख्या 03/2021 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 1024/15–11–2021)

उपस्थिति : प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित।

–:निर्णयः–   दिनांकः 29.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि आंगनबाडी केन्द्र संख्या 8 वार्ड संख्या 2 के लिये विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार सहायिका के पद पर आवेदन चाहे गये थे जिसमें शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार, अमीना बानो पत्नि नन्ने खां तथा तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक ने आवेदन किये थे। जिस पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार का चयन किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया ने प्रथम अपील उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा को प्रस्तुत की जिस पर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2023 पारित कर प्रार्थीया द्वारा की गई अपील को खारिज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार के चयन को सही माना गया। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 21.04.2023 से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार को तलब किया गया तथा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा का निर्णय दिनांक 21.04.2023 खिलाफ नियम व कानून होने के कारण निरस्तनीय है। प्रार्थीया तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी महवा की स्थानीय निवासी है। प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र संख्या 8 पर सहायिका के पद हेतु नियमानुसार आवेदन किया। उक्त पद हेतु शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार, अमीना बानो पत्नि नन्ने खां तथा तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक ने आवेदन किये थे। इस प्रकार कुल तीन आवेदन विभाग को प्राप्त हुए। श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार का चयन विभाग द्वारा किया जाकर आंगनबाडी केन्द्र संख्या 8 वार्ड सं. 2 में नियुक्ति की गई है। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आवेदक उसी वार्ड का वासी होना आवश्यक है, जबकि शिवानी कुमारी वार्ड सं. 2 की मूल निवासी नहीं है। इनके द्वारा आवेदन पत्र में लगाये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेज संदिग्ध है जिसमे विभाग को गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर जानकारी छिपाई गई प्रतीत होती है। वार्ड संख्या 2 अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक आरक्षण के लाभ से प्रार्थी को वंचित किया गया है। प्रार्थीया नियमानुसार उक्त पद पर चयन व नियुक्ति की पात्रता रखती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर चयन व आदेश दिनांक 21.04.2023 को अपास्त किया जाकर प्रार्थीया को चयन किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा द्वारा वार्ड संख्या 02 आंगनबाडी केन्द्र संख्या 08 महवा में सहायिका के पद पर की गई नियुक्ति के विरूद्ध श्रीमति तबस्सुम बानो पत्नि श्री मोहम्मद इसाक द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में प्रेषित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट में अंकितानुसार उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मानदेयकर्मियों के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति क्रमांक 01/2022 दिनांक 14.11.2022 जारी की गई, जिसमें आंगनबाडी सहायिका महवा 08 मम्मू कॉलोनी का पद भी शामिल था। उक्त पद पर आवेदन करने की अंतिम दिनांक 15.11.2022 तक कुल 3 आवेदन सीडीपीओ कार्यालय महवा में प्राप्त हुये जिनकी सीडीपीओ महवा द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची निम्नानुसार हैः–

श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा –05 अंक जन्मतिथिः–22.07.1996 प्रथम वरीयता
श्रीमति अमीना खान पत्नि श्री नन्ने खान–04 अंक जन्मतिथिः–07.07.1993 द्वितीय वरीयता
श्रीमति तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक–03 अंक जन्मतिथिः–18.12.2000 तृतीय वरीयता

तदोपरान्त श्रीमति तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक द्वारा दिनांक 13.03.2023 को अपील प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि प्रार्थीया तबस्सुम बानो ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड संख्या 08 पर सहायिका पद हेतु आवेदन किया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी महवा द्वारा उक्त पद पर श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा निवासी महवा का चयन किया गया है। प्रार्थीया तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक निवासी महवा द्वारा श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा को वार्ड सं. 02 का स्थानीय निवासी नहीं होना बताया गया है जबकि श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड संख्या 007816701254, वोटर आई डी संख्या **TRY1382183** आधार कार्ड संख्या 608749860115, जन आधार कार्ड संख्या 5113456054 एवं तहसीलदार महवा द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र 21401102925 दिनांक 30.11.2021 में स्थाई पता वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी महवा दर्ज होना बताया गया है। साथ ही मुरादन बानो पार्षद वार्ड संख्या 02 द्वारा अपने लेटर पैड दिनांक 21.03.2023 में श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा को वार्ड नम्बर 02 मम्मू कॉलोनी महवा का स्थाई निवासी होना बताया गया है। प्रार्थीया तबस्सुम बानो द्वारा वार्ड संख्या 02 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण स्वयं को नियमानुसार नियुक्ति के पात्रता बाबत निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में सीडीपीओ महवा द्वारा प्रेषित पत्रांक 607 दिनांक 12.04.2023 द्वारा अवगत करवाया गया है कि आंगनबाडी केन्द्र महवा के सर्वे क्षेत्र (कवरेज क्षेत्र) में वार्ड 01 एवं वार्ड 02 का कवरेज क्षेत्र आता है एवं सीडीपीओ महवा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र महवा 8 की सर्वे अनुसार सामान्य श्रेणी की 100, विशेष पिछडा वर्ग की 1356, अनुसूचित जाति की 188, अनुसूचित जनजाति की 16 एवं अल्पसंख्यक श्रेणी की 1115 कुल जनसंख्या 2775 है। जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला [illegible] किया जायेगा। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र महवा–8 के कवरेज क्षेत्र की जनसंख्या का 50 प्रतिशत अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग की नहीं होने के कारण पद सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है। श्रीमति तबस्सुम बानो द्वारा प्रस्तुत अपील की व्यक्तिगत सुनवाई की जाकर उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को खारिज करते हुये निर्णय दिनांक 21[illegible]2023 पारित किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अति0 जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:55:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा द्वारा निवेदन किया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी महवा द्वारा आंगनबाडी केन्द्र संख्या 8 वार्ड संख्या 2 के लिये सहायिका के पद पर श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा निवासी महवा का किया गया नियमानुसार चयन किया गया है। प्रार्थी तबस्सुम बानो का कहना है कि अप्रार्थी शिवानी कुमारी वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी महवा की मूल निवासी नहीं है जबकि शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार के राशन कार्ड संख्या 007816701254, वोटर आई डी संख्या **TRY1382183** आधार कार्ड संख्या 608749860115, जन आधार कार्ड संख्या 5113456054 एवं तहसीलदार महवा द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र 21401102925 दिनांक 30.11.2021 में स्थाई पता वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी महवा दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थीया द्वारा अवगत करवाया गया है कि वार्ड संख्या 2 अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जायेगा। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र महवा–8 के कवरेज क्षेत्र की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग की नहीं होने के कारण यह पद सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है। उक्त पद सामान्य श्रेणी का होने पर ही अप्रार्थी संख्या 2 शिवानी कुमारी द्वारा आवेदन किया गया था जिस पर विभाग द्वारा नियमानुसार चयन किया गया है। आंगनबाडी केन्द्र संख्या 8 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थीया तबस्सुम बानो द्वारा अपील बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किये गये चयन के विरूद्ध प्रथम अपील उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थी जो कि निराधार एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण दिनांक 21.04.2023 को खारिज की जा चुकी है। तत्पश्चात प्रार्थीया द्वारा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा के निर्णय दिनांक 21.04.2023 के विरूद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थीया तबस्सुम बानो पत्नि मोहम्मद इसाक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि वार्ड संख्या 02 अल्पसंख्यक वार्ड होने के कारण आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है जो कि प्रार्थी का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र होने तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक आरक्षण के लाभ से वंचित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकितानुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता के सर्वे रजिस्टर एवं महिला पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आंगनबाडी केन्द्र महवा 08 के कवरेज क्षेत्र की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग की नहीं होने के कारण यह पद सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आता है। प्रार्थीया द्वारा दूसरा तथ्य यह प्रस्तुत किया गया है कि चयनित सहायिका शिवानी कुमारी वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी की निवासी नहीं है जबकि शिवानी कुमारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार शिवानी कुमार का स्थाई पता वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी महवा दर्ज होना बताया गया है। पार्षद वार्ड संख्या 02 श्रीमति मुरादन बानो द्वारा अपने लेटर पैड दिनांक 21.03.2023 में श्रीमति शिवानी कुमारी पत्नि लवेश कुमार शर्मा को वार्ड नम्बर 02 मम्मू कॉलोनी महवा का स्थाई निवासी होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र सारहीन होने से स्वीकार किये जाना उचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया तबस्सुम बानो पत्नि इसाक मोहम्मद निवासी वार्ड संख्या 02 मम्मू कॉलोनी महवा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा जिला दौसा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official